हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्टम् सत्र

बुधवार, 28 अगस्त, 2024/6 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर :**

(1) **तारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।
(ii) दिन के लिए		

(2) **अतारांकित :**

(i) स्थगित	}	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।
(ii) दिन के लिए		

2. **कागजात सभा पटल पर रखे जाएगें :**

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वन विभाग, कानूनगो, वर्ग-ग (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या:एफ0एफ0ई0-ए (बी) 2-9/2022, दिनांक 14.03.2024 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 26.03.2024 को प्रकाशित; और

(ii) सूचना का अधिकार, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, 2021-22।

(2) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 48वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित);

(ii) हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्या 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2024-25**), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **21वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि प्रदेश में संचालित "**दिव्यांग व्यक्तियों/ बच्चों के स्व:रोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं**" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **22वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि प्रदेश में संचालित "**स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना**" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **23वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि **अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP)** द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2024-25**), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **19वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** जोकि **भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का **20वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **12वाँ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** की गतिविधियों से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **21वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अन्तर्गत अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं सहबद्ध खेल संस्थान मनाली** की गतिविधियों से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया,** "शाहपुर के हारचक्कियां व लंज में चिकित्सकों की कमी के कारण दो व्यक्तियों की सर्पदंश से आकस्मिक मृत्यु पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री सुरेन्द्र शौरी,** "सराज वन मण्डल (बंजार) में सुराग शिल्ह जंगल में काटे गए हरे पेड़ों के अवैध कटान पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

5. (1) नियम-130 के अन्तर्गत प्राप्त निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रहेगी:

"प्रदेश में भारी बरसात/आपदा के कारण जनमानस, सड़कों, पुलों, घरों, फसलों, सरकारी भवनों, निजी भूमि, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को हुए नुकसान बारे यह सदन विचार करे।"

(2) **श्री त्रिलोक जम्वाल**
श्री बलबीर सिंह वर्मा
श्री सुख राम चौधरी
श्री राकेश जम्वाल
} प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 27 अगस्त, 2024 **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)